



राजस्थान राज-पत्र

विशेषांक

साधिकाय प्रकाशित

Regd. No. JP/GPO/33  
RAJASTHAN GAZETTE

Extraordinary

Published by Authority

पृष्ठ 30, बुधवार, साके 1923-- जून 20, 2001

Jyaisiha 30, Wednesday, Saka 1923-- June 20, 2001

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञाये ।

चिकित्सा (मु.प-5) विभाग

अधिसूचनाये

जयपुर, जून 16, 2001

संख्या प. 12 (38) चि. 5/94-पाठ-III:—प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुहपयोग निवारण) अधिनियम 1994 की धारा 17 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी सगस्त आज्ञाओं को अधिकृत करते हुए राज्य सरकार जिला स्तर एवं उपखण्ड स्तर पर निम्नानुसार 2 समुचित प्राधिकारी नियुक्त करती है:—

जिला स्तर पर:

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी - सम्पूर्ण जिले के लिये ।

उपखण्ड स्तर पर:

1. उप मुख्यालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) - जिला मुख्यालय पर स्थित उप खण्ड के लिए
2. उप मुख्यालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी - संबंधित उप खण्ड के लिए (जिला मुख्यालय पर स्थित उप खण्ड के प्रतिरिक्त)

जयपुर, जून 16, 2001

संख्या प. 12 (38) चि. 5/94-पाठ-III:—प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुहपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उपधारा (5) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार सगस्त समुचित समिति का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

- 1—वरिष्ठतम वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ
- 2—वरिष्ठतम वरिष्ठ मिश्ररोग विशेषज्ञ
- 3—अनुवंशिकी विज्ञानी (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)
- 4—तीन विद्यमान सामाजिक कार्यकर्ता, जिनमें से कम से कम एक महिला सगठन के प्रतिनिधि में गे होगा (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)
- 5—जिला सूचना एवं प्रसार अधिकारी
- 6—विधि विशेषज्ञ (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)

नोट:—

1. सलाहकार समिति में कम से कम दो पर अंकित सदस्यों में से जो भी वरिष्ठ होगा, वह सलाहकार समिति का अध्यक्ष होगा ।
2. सलाहकार समिति में कम से कम 1, 2 एवं 5 के प्रतिरिक्त अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का रहेगा ।
3. सलाहकार समिति की किन्हीं दो बैठकों के मध्य 60 दिवस से अधिक का अन्तराल नहीं होगा ।

आज्ञा से,  
डॉ. लाल,  
उप आसन सचिव ।

जयपुर, जून 16, 2001

संख्या प. 12(38) जि.5/04-पाट-III:—प्रत्येक पूर्व निर्दिष्ट एकमेक (विनियमन और दुर्लभयोग नियंत्रण) अधिनियम 1994 की धारा 17 की उपधारा (5) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार समस्त समुचित प्राधिकारियों को उनके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने एवं सलाह देने के लिए प्रत्येक उपखण्ड क्षेत्र के लिए एक सलाहकार समिति का गठन करती है, जिनमें निम्नांकित सदस्य होंगे :—

- 1—वरिष्ठतम कनिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ
- 2—वरिष्ठतम कनिष्ठ शिशुरोग विशेषज्ञ
- 3—प्रभु वैज्ञानिकी विज्ञानी (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)
- 4—स्त्री विद्यार्थी सामाजिक कार्यकर्ता, जिनमें से कम से कम एक महिला संगठन के प्रतिनिधि में से होगा (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)
- 5—जिन्हा सुचना एवं प्रसार अधिकारी अथवा उसका प्रतिनिधि
- 6—विविध विशेषज्ञ (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)

नोट :—

1. सलाहकार समिति में क्रम सं. 1 व 2 पर अंकित सदस्यों में से जो भी वरिष्ठ होगा, वह सलाहकार समिति का अध्यक्ष होगा।
2. सलाहकार समिति में क्रम सं. 1, 2 एवं 5 के प्रतिरिक्त अन्य सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा।
3. सलाहकार समिति की तिन्हीं ओ प्रैठकों के अथा 6 दिवस से अधिक का अंतराल नहीं होगा।

आज्ञा से,  
पी. साह,  
उप शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।